85/6

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद

वाद संख्या 12 / 2005

धारा - 143 ज0वि0 एवं भूमि व्य0अ0

ग्राम - लोधीपुर राजपूत

तहसील व जिला - मुरादाबाद

रामकुंवर आदि बनाम सरकार

आदेश

श्री राम कुंवर पुत्र श्री रामलाल निवासी ग्राम लोधीपुर राजपूत तहसील व जिला मुरादाबाद के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0 पर प्रस्तुत तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.2.2005 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि, ग्राम लोधीपुर राजपूत के गाटा संख्या 81 मि. रकबा 0.725, गाटा सं0 79 रकबा 3.723 में बाउन्ड्री, आबादी बनी है। उक्त भूमि में खेती नहीं हो रही है। तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है। तहसील आख्या पर क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित किये गये जो पत्रावली में शामिल है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भी अपने बयानों में उक्त भूमि में आबादी व बाउन्ड्री होना बताया है अतः तहसीलदार मुरादाबाद की संस्तुति सहित आख्या के आधार पर ग्राम लोधीपुर राजपूत के गाटा सं0 81 मि. रकबा 0.725 लगान 29.05, गाटा सं0 79 रकबा 3.723 लगान 149.40 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुये लगान माफ किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मुरादाबाद को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

7.6.05

(आर0पी0 यादव)
उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद

दिनांक :- 07-06-05

उप जिलाधिकारी सदर मुरादाबाद

प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 2722
प्रार्थना पत्र की दिनांक 16.11.18
आवेदक का नाम लीला...
फोर्ट/स्टाम्प शुल्क 13/-
शब्द/फोटो प्रति 1 ...
तैयारी का दिनांक 19.11.18
जारी का दिनांक 19.11.18
प्रतिलिपिकर्ता का नाम ...
जाँचकर्ता का नाम ...

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार कलक्ट्रेट
मुरादाबाद
19/11/18

राजस्व अभिलेखागार
कलक्ट्रेट मुरादाबाद
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner